(प्रश्न । से 2 तक)

[3/7/2024]

(1)

नारायण सिंह पट्टा
विधायक
105, विधानसभा बिछिया
जिला- मण्डला (म.प्र.)

प्रश्न संख्या क्र. 837

निवास- 1- ग्राम- पुपरी, पो. व तह. पुपरी
जिला-मण्डला (म.प्र.)
मो.- 9424360944, 9109260444
2- भोपाल- विधायक विश्रामगृह
नया परियारिक परिसर
खण्ड-4 कक्ष क्र. 1 भोपाल (म.प्र.)
email-narayanpatta12@gmail.com

0 5 FEB 2024

क्रमांक/1525/ विधा./2024/MDL

दिनांक 02/02/2024.

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 837 के प्रश्नांश (ख) का परिशिष्ट "अ" माननीय विधायक महोदय श्री नारायण सिंह पट्टा।

कार्यालय कलेक्टर मण्डला
शाखा का नाम. C.M.H.O
अधीक्षक के हस्ताक्षर........
5/02/24
कले./अपर कलेक्टर/प्र.अधि.

प्रति आवक क्र. 106 9/2/24

कलेक्टर
जिला मण्डला

विषय :- लोकायुक्त कार्यवाही में दोषी डॉ डी के टाकसांडे की नियमविरुद्ध कार्यप्रणालियों के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक।

R 05/02/24

06/02/24

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ डॉ डी के टाकसांडे के विरुद्ध जनवरी 2022 में लोकायुक्त कार्यवाही की गई थी, जिसमें वे अपनी अधीनस्थ कर्मचारी के परिजन से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए थे। इस कार्यवाही के बाद इन्हें निलंबित किया गया था लेकिन कुछ समय बाद नियमविरुद्ध तरीके से इन्हें पुनः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में ही पदस्थ कर दिया गया। पदस्थी के बाद से ही ये लगातार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं और नियमविरुद्ध ढंग से अनेक शासकीय कार्यो को प्रभावित कर रहे हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में बीएमओ के लिए आवंटित आवास में ये अबतक कब्जा जमाए बैठे हैं जिसके कारण वर्तमान बीएमओ को दूसरे आवास में रहना पड़ रहा है। अतः बीएमओ को आवंटित आवास इनसे तत्काल खाली कराया जाए।

गत दिवस इनके द्वारा कूटरचित ढंग से पुरानी डेट में आवास आवंटन का एक पत्र बनाया गया जिसमें बीएमओ के पद के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर इन्होंने परिसर का एक शासकीय आवास आवंटन कर दिया, जबकि उसी आवास को सीएमएचओ के द्वारा हाल ही में एक शासकीय नर्स को आवंटित किया गया है। जिसका ताला तोड़कर इनके द्वारा उक्त आवास को कब्जे की कोशिश की गई है। इनके द्वारा बीएमओ पदनाम के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर कूटरचित ढंग से शासकीय आवास का आवंटन किया जाना आपराधिक कृत्य है जिसकी एफआईआर कराई जानी चाहिए एवं जांच करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जानी चाहिए।

अतः आग्रह है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

शिकायत
स्था.-G.

भवदीय
(हस्ताक्षर) 2/2/24
(नारायण सिंह पट्टा)

वरिष्ठ संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(2)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – मण्डला (म.प्र.)

मण्डला दिनांक :– 21.06.24

क्रमांक/शिकायत/2024/2977

प्रति,

कलेक्टर महोदया
मण्डला (म.प्र.)

विषय :– माननीय विधायक श्री नारायण पट्टा, विधायक बिछिया द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र क्रमांक/1525/विधा./2024/MDL दिनांक 02/02/2024 का जॉच प्रतिवेदन।

संदर्भ :– आपका पत्र दिनांक 05/02/2024।

विषयान्तर्गत संदर्भित प्राप्त शिकायत पत्र की जॉच की गई जॉच प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

1. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक/4/शिका./सेल–व्हीसी/एफ–646/2023/308 भोपाल दिनांक 21/02/2023 द्वारा डॉ. दिनेश टॉकसाण्डे निलम्बन से बहाल कर पदस्थापना इस कार्यालय के अधीन की गई। कार्यालयीन आदेश क्र./182 दिनांक 31/03/2023 के द्वारा कलेक्टर/सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदन उपरांत डॉ. टॉकसाण्डे को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय मण्डला में पदस्थ किया गया। मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी बिछिया के द्वारा प्रेषित मांग अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक/306 दिनांक 18/05/2023 के द्वारा डॉ. टॉकसाण्डे को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछिया के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर में पदस्थापना की गई। खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछिया के पत्र क्रमांक 13213 दिनांक 17/07/2023 के द्वारा डॉ. टॉकसाण्डे को दस्तक अभियान एवं सिकल सेल एनीमिया की मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग कार्य हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुऐ अभियान के समस्त कार्य कराने हेतु निदेर्शित किया गया। (छायाप्रति संलग्न)
2. संदर्भित शिकायत की जॉच में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछिया के अधिकारी एवं स्टॉफ के बयान प्राप्त किये गये संबंधित बयान के अनुसार डॉ. दिनेश टॉकसाण्डे मेडिकल ऑफीसर के द्वारा अधिनस्थ कर्मचारियों को परेशान ना करने एवं शासकीय कार्य में किसी भी प्रकार की रूकावट ना डालने बावद बयान दियें गये है। (बयान की छायाप्रति संलग्न)
3. जॉच में एवं दिये गये बयान में यह पाया गया कि, बी.एम.ओ. शासकीय आंवास में डॉ. टॉकसाण्डे एवं वर्तमान बी.एम.ओ. साथ– साथ निवासरत थे। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/934 मण्डला दिनांक 14/02/2024 के द्वारा शासकीय आवास रिक्त करने हेतु डॉ. टॉकसाण्डे को पत्र जारी किया गया। जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा दिनांक 16/06/2024 को शासकीय आवास रिक्त कर दिया गया। वर्तमान में शासकीय आवास बी.एम.ओ. के अधिपत्य में पाया गया।
4. जॉच में एव बी.एम.ओ. के दिये गये बयान में यह पाया गया कि पत्र क्रमांक/बिछिया/428–ए दिनांक 21/10/2023 के द्वारा डॉ. शुभम राजपूत को आंवटित शासकीय आवास आदेश तत्कालीन बी.एम.ओ. के निर्देश पर जारी किया जाना पाया गया।
5. जॉच में पाया गया की अन्नपूर्णा पन्द्रो नर्सिंग ऑफिसर को आंवटित किये गये शासकीय आवास में संबंधित नर्सिंग ऑफिसर का ताला लगा हुआ है, तथा संबंधित अपनी स्वैच्छा से आंवटित आवास में निवास रत नही है। साथ संबंधितो के बयान के अनुसार उक्त शासकीय आवास में ताला तोड़ने या जबरन कब्जाा का प्रयास नही हुआ है।

उपरोक्त जॉच एवं दिये गये बयान के आधार पर डॉ. टॉकसाण्डे के विरूद्व एफ.आई.आर. एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की स्थिति नही बन रही है। प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न :– 1. 5 बयानकर्ताओं के बयान की छाया प्रति (9 पृष्ठ)
2. उपरोक्तानुसार अन्य अभिलेख

(हस्ताक्षर)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – मण्डला (म.प्र.)

वरिष्ठ संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner